उत्तराखण्ड का चिपको आन्दोलन

***भूमिका प्रसाद**

उत्तराखण्ड राज्य का चिपको आन्दोलन एक घटना मात्र नहीं है यह पर्यावरण व प्रकृति की रक्षा के लिए सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे विस्तृत विषय के सभी पहलुओं को एक चीज में समाहित करना गागर में सागर भरने की बात है,

उत्तराखण्ड एक परिचयः– उत्तराखण्ड राज्य हिमालय का ही एक हिस्सा है, इसकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा चीन से लगती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन अत्यन्त संघर्षपूर्ण व कष्टदायक होता है। उत्तराखण्ड के लोगों की इस जीवन शैली ने ही उनमें संघर्ष की असीम क्षमता का निमार्ण किया है। इसी के बलबूते पर यहाँ के लोगों ने अपने बुनियादी अधिकारों को लेकर अनेकानेक सफल जन आन्दोलन किये हैं। जिनमें 1921 का कुलीबेगार आन्दोलन, 1930 का तिलाड़ी आन्दोलन, 1974 का चिपको आन्दोलन, 1984 का नशा नहीं रोजगार दो आन्दोलन तथा 1994 का उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है :–

चिपको आन्दोलन का अर्थ एवं लक्ष्य :– चिपको आन्दोलन का सांकेतिक अर्थ यही है कि पेड़ों को बचाने के लिये पेड़ो से चिपक कर जान दे देना, परन्तु पेड़ो को नहीं काटने देना है, अर्थात् प्राणों की आहुति देकर भी पेड़ो की रक्षा करना है।

चिपको आन्दोलन की भूमिका :– चिपको आन्दोलन की कहानी पर आने से पहले इसकी भूमिका को समझना और जानना जरूरी है। उत्तराखण्ड राज्य के तीन जिले उत्तरकाशी, चमोली व पिथौड़ागढ की सीमा चीन से लगती है। चमोली तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों के लोगों की रोजी रोटी के लिए व्यवसाय मवेशी पालन तथा लघु व उपज जड़ी–बूटी, गोंद, शहद ,चारे के लिए घास–फूस कृषि सम्बन्धी छोटे औजार बनाना आदि–आदि था।

1962 तक तिब्बत व चीन के लोगों के साथ यहाँ के निवासी ऊन तथा कुछ हथकरघा उद्योग की वस्तुओं इत्यादि का व्यापार करते थे ।

1962 में भारत–चीन युद्ध के बाद परिस्थितियों में एकदम बदलाव आ गया। पहला बदलाव तो यह आया कि यहां लोगों का तिब्बत व चीन के साथ व्यापार खत्म हो गया, इसके कारण यहाँ लोगों की आजीविका पूर्णतया वनों पर निर्भर हो गयी।

दूसरा बदलाव यह आया कि सरकार को भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए मार्गों का निमार्ण करना पड़ा। इससे हिमालय में खड़ी अथाह वन सम्पदा सरकार, ठेकेदारों, माफियाओं की नजर में तथा पहुँच में आ गयी। हिमालय में पेड़ों की ठेकेदारी प्रथा से अंधाधुंध कटाई के साथ–साथ असुरक्षित खनन, सड़क निर्माण, जल विद्युत परियोजनायें व पर्यटन सहित अन्य विकास कार्यो से वनों का विनाश होना शुरू हो गया, इतने असुरक्षित विकास कार्यों व वनों की अंधाधुंध कटाई को हिमालय झेल नहीं पाया और इन सबके परिणाम स्वरूप सन् 1970 में

ऐसी प्रलयकारी बाढ़ आयी थी जैसे पिछले वर्ष 2013 में आयी। यह महाविनाश प्राकृतिक नहीं था। यह महाविनाश मानव निर्मित था। समस्त असुरक्षित विकास कार्यों व वनों की अंधाधुंध कटाई ने भूस्खलन व बाढ़ों का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ के निवासियों की आजीवका तो दूर जीना मुश्किल तक हो गया था। यहाँ तक आते–आते चिपको आन्दोलन शुरू होने का समय आ चुका था ।

*शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, डी0 एस0 बी0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

चिपको आन्दोलन एक सतत प्रक्रियाः–

चिपको आन्दोलन एक समसामयिक आन्दोलन तक ही सीमित नहीं है, यह एक सतत् प्रक्रिया है। 2013 में केदारनाथ, बद्रीनाथ व उत्तराखण्ड राज्य के अन्य हिस्सों में वर्षा से हुए महाविनाश के हम साक्षी हैं। इस महाविनाश का मुख्य कारण जैसा कि पहले वर्णित किया गया है कि हिमालय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई तथा असुरक्षित खनन, सड़क निर्माण, जल विद्युत परियोजनायें व पर्यटन सहित अन्य विकास कार्यों से वनों का विनाश है। इतने असुरक्षित विकास को हिमालय झेल नहीं पाता और हमको ये विनाशलीलाएँ देखनी पड़ती है। इन्हीं कारणों से यू.पी., बिहार व उत्तर पूर्वी राज्यों में हर साल बाढ़ों के कारण विनाश होता रहता है। प्रकृति के प्रति असंवदेनशील घोटालेबाजों को घूस खाने, माफियाओं को मुनाफा कमाने, तथा कथित पर्दाफासों को घोटाले उजागर कर पब्लिसिटी पाने तथा मीडिया को टी0 आर0 पी0 बढ़ाने तक ही मतलब है। प्रकृति के विनाश की ओर किसी का ध्यान नहीं है। चिपको आन्दोलन एक सतत् प्रक्रिया है। इसकी सार्थकता हमेशा बनी रहेगी। प्रकृति के सन्तुलन को आप जैसे प्रबुद्धजन व युवाशक्ति ही बचा सकती है।

चिपको आन्दोलन

चिपको आन्दोलन 1974 कह देने से इसकी कहानी श्रीमती गौरा देवी तक ही सीमित रह जाती है। श्री चंडी प्रसाद भट्ट व सुन्दरलाल बहुगुणा तथा अन्य लोगों का योगदान भी अमूल्य है। इस आन्दोलन के मुख्य संस्थापक श्री चंडी प्रसाद भट्ट है। इस आन्दोलन को श्रीमती गौरा देवी ने अमलीजामा दिया। चिपको आन्दोलन क्रियान्वित गौरा देवी की घटना से ही हुआ था। इसलिये श्रीमती गौरा देवी को इस आन्दोलन की जननी तथा सूत्रधार कहा जाता है। इस आन्दोलन को विस्तार श्री सुन्दर लाल बहुगुणा ने दिया।

चिपको आन्दोलन की पृष्ठभूमिः– चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 23 जून 1934 को गोपेश्वर गांव (जिला चमोली) उत्तराखण्ड के एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने चमोली से हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार न मिलने के कारण इनको मैदानी क्षेत्र में ऋषिकेश आकर एक बस यूनियन के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। वहाँ भी इन्होंने बाहर की सवारियों से ज्यादा किराया वसूलने के विरोध संघर्ष शुरू कर दिया था।

1956 में सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण पीपलकोटी आये तब चंडी प्रसाद भट्ट ने उनका भाषण सुना तथा उनसे भेंट की। उसके बाद वे गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता बन गये उन्होंने सन् 1964 में गोपेश्वर में 'दशोली ग्राम स्वराज्य संघ' दशोली गोपेश्वर के आस पास के क्षेत्र की प्रशासनिक इकाई का नाम है) की स्थापना की जो कालान्तर में चिपको आन्दोलन की मातृ संस्था बनी। इस संस्था ने स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से रोजगार सृजित करने का काम शुरू किया। इसके साथ ही चंडी प्रसाद भट्ट, जय प्रकाश नारायण तथा विनोबा भावे को आदर्श बनाकर अपने क्षेत्र में श्रम की प्रतिष्ठा सामाजिक समरसमा, नशाबंदी और महिलाओं–दलितों को सशक्तिकरण के द्वारा आगे बढ़ाने के काम में जुट गये। स्थानीय रोजगार के मुख्य संसाधन वन ही थे। समाज को छोटे फार्म टूल बनाने के लिये पेड़ों की जरूरत होती तब ये वन विभाग से भागते थे, परन्तु गलत सरकारी नीतियों के चलते वहाँ स्थानीय लोगों की माँग की पूर्ति न कर पेड़ साइमन जैसी बड़ी मैदानी कम्पनियों को ठेके पर दे देते थे। चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में लगातार सरकारी नीतियों के विरोध में लगातार संघर्ष चल रहे थे।

1970 में आयी प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न हुई भयावह स्थिति ने गलत सरकारी नीतियों के कारण हुये समस्त असुरक्षित विकास कार्यों व वनों की अंधाधुंध कटाई को उजागर कर दिया। उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट वनों का विनाश रोकने के लिये ग्रामवासियों को संगठित कर 1973 से चिपको आन्दोलन आरम्भ कर वनों का कटान रूकवाया, परन्तु चिपको आन्दोलन को वास्तविक सफलता व गति श्रीमती गौरादेवी की घटना के बाद मिली।

चिपको आन्दोलन की जननी श्रीमती गौरादेवी

चिपको आन्दोलन 1974:–

1974 में शुरू हुये विश्व विख्यात चिपको आन्दोलन की जननी, प्रणेता श्रीमती गौरा देवी जी की, जो चिपको वूमन के नाम से विख्यात है । 1925 में चमोली जिले के लाता गांच के एक मरछिया जनजाति परिवार में श्री नारायण सिंह के घर में जन्म हुआ था। 12 साल की उम्र में इनका विवाह रैंणी गांव के मेहरबान सिंह से हुआ, रैंणी भोटिया का स्थायी आवासीय गांव था। ये लोग अपनी गुजर बसर के लिए पशुपालन, ऊनी कारोबार और खेती–बाड़ी किया करते थे। 22 वर्ष की आयु में गौरा देवी के पति का निधन हो गया था । गौरा देवी ने सुसराल में रहकर छोटे बच्चे की परवरिश व वृद्ध सास–सुसर की सेवा के साथ–साथ खेती बाड़ी व कारोबार को सम्भालने में अनेकानेक कष्टों का सामना करना पड़ा । उन्होनें अपने पुत्र को स्वालम्बी बनाया। उन दिनों भारत–तिब्बत व्यापार हुआ करता था। गौरा देवी ने उसके जरियें भी अपनी आजीविका का निर्वाह किया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह व्यापार बन्द हो गया तो चन्द्र सिंह ने ठेकेदारी, ऊन के धंधे तथा मजदूरी से आजीविका चलाई, इससे गौरादेवी आश्वस्त हुई और खाली समय में वह गांव के सुख–दुख में सहभागी होने लगी। इसी बीच अलकनन्दा में 1970 में प्रलयकारी बाढ़ आई जिससे यहाँ के लोगों में बाढ़ के कारण और उसके उपाय के प्रति जागरूकता आयी।

इस कार्य के लिये प्रख्यात पर्यावरणविद् श्री चण्डी प्रयाद भट्ट ने पहल की। इसी चेतना का प्रतिफल था, हर गाँव में महिला मंगल दलों की स्थापना की। 1972 में गौरा देवी जी को रैंणी गांव की महिला मंगल दल का अध्यक्ष चुना गया। इसी दौरान वह चण्डी प्रसाद भट्ट, गोविन्द सिंह रावत, वासवानन्द नौटियाल और हयात सिंह जैसे सामाजिक कार्य कर्ताओं के सम्पर्क में आई, जनवरी 1974 में रैंणी गांव के 2451 पेड़ों पर छपान हुआ।

23 मार्च को रैणी गांव में पेड़ों का कटान किये जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। प्रशासन ने सड़क निर्माण के दौरान हुई क्षति का मुआवजा देने की तिथि 26 मार्च तय की गई, जिसे लेने के लिये सभी गाँव के सभी मर्दो को चमोली जाना था।

इसी बीच वन विभाग ने सुनियोजित चाल के तहत जंगल काटने वाले ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया कि 26 मार्च को वे अपने मजदूरों को लाकर चुपचाप रैंणी जंगल के पेड़ों को काट कर ले जाये। गांव के सभी मर्द चमोली में रहेंगे उसी दिन सामाजिक कार्य कर्ताओं को वार्ता के बहाने गोपेश्वर बुला लिया जायेगा। इसी योजना पर अमल करते हुये ठेकेदार श्रमिकों को लेकर रैंणी की ओर चल पड़े। वे रैंणी से पहले ही उतर कर ऋषिगंगा के किनारे रागा होते हुये रैंणी के देवदार के जंगलों को काटने के लिये चल पड़े। इस हलचल को एक छोटी लड़की ने देख लिया। उसने तुरन्त इससे गौरा देवी को अवगत कराया। पारिवारिक संकटों को झेलने वाली गौरा देवी पर आज एक सामूहिक उत्तरदायित्व आ पड़ा। वह गाँव में उपस्थित 21 महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। इनमें बर्ता देवी, महादेवी, भूसी देवी, इन्द्रा देवी शामिल थी। इनका नेतृत्व कर रही थी, गौरा देवी, इन्होंने खाना बना रहे मजदूरों से कहा ''भाईयो यह जंगल हमारा मायका है, इससे हम जड़ी–बुटी, फल–सब्जी और लकड़ी मिलती है, जंगल काटोगे तो बाढ़ आयेगी, हमारे बगड़ बह जायेंगे, आप लोग खाना खा लो फिर हमारे साथ चलो, जब हमारे मर्द आ जायें तब फैसला कर लेंगे." ठेकेदार और जंगलात के लोग उन्हें डराने–धमकाने लगे। उन्हें बाधा डालने के जुर्म में गिरफ्तार करने की धमकी भी देने लगे, लेकिन ये महिलायें न डरी और न इनकी, ठेकेदार ने बन्दूक निकालकर उन्हें डराया धमकाया तो गौरा देवी ने अपनी छाती तानकर गरजते हुये कहा– "पहले मुझे गोली मारो फिर काट लो हमारा मायका" इस पर मजूदर सहम गये। गौरा देवी के अदम्य साहस से इन महिलाओं में भी शक्ति का संचार हुआ और महिलायें पेड़ों से चिपक गयी और कहा कि हमारे साथ इन पेड़ों को भी काट लो।

ऋषिगंगा के तट पर नाले पर बना सीमेन्ट का एक पुल महिलाओं ने तोड़ डाला, जंगल के सभी मार्गो पर महिलायें

तैनात हो गयी। ठेकेदार के आदमियों ने गौरादेवी को डराने–धमकाने का प्रयास किया, यहां तक कि उनके ऊपर थूक तक दिया गया, लेकिन गौरा देवी ने अपना नियन्त्रण नहीं खोया और पूरी रात अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपना विरोध जारी रखा। इससे मजदूर और ठेकेदार को आखिर हथियार डालने पड़े, इन महिलाओं की जीत हुई और जंगल बच गया।

इस घटना की चर्चा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गयी और इस आन्दोलन ने सरकार के साथ–साथ वन प्रेमियों और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, सरकार को इस हेतु डॉ0 वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया। जांच के बाद पाया गया कि रैंणी के जंगल के साथ ही अलकनन्दा में बाईं ओर मिलने वाली समस्त नदियों ऋषि गंगा, पाताल गंगा, गरूड़ गंगा, विरही और नन्दाकिनी के जल ग्रहण क्षेत्रों और कुवारी पर्वत के जंगलों की सुरक्षा पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत आवश्यक है।

इस प्रकार से पर्यावरण के प्रति अतुलनीय प्रेम का प्रदर्शन करने और उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने वाली गौरादेवी ने जो अनुकरणीय कार्य किया, उसने उन्हें रैंणी गांव की गौरादेवी से चिपको वूमेन ऑफ इण्डिया बना दिया।

श्रीमती गौरा देवी, पेड़ो के कटान को रोकने के साथ ही वृक्षारोपण के कार्यों में भी संलग्न रही। उन्होंने ऐसे कई कार्यक्रमों का नेतृत्व किया, आकाशवाणी नजीबाबाद के ग्रामीण कार्यक्रमो की सलाहकार समिति की भी सदस्य रही। सीमित ग्रामीण दायरे में जीवनयापन करने के बावजूद भी वह दूर की समझ रखती थी। उनके विचार जनहितकारी हैं। जिसमें पर्यावरण की रक्षा का भाव निहित था, नारी उत्थान और सामाजिक जागरण के प्रति उनकी विशेष रूचि थी, श्रीमती गौरा देवी जंगलो से अपना रिश्ता बताते हुए कहती थी कि ''जंगल हमारे मैत (मायका) है'' उन्हें दशौली ग्राम स्वराज्य मण्डल तीस महिला मंगल दल की अध्यक्षाओं के साथ भारत सरकार ने वृक्षों की रक्षा के लिये 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रदान किया गया था।

गौरादेवी ने ही अपने अदम्य साहस और दूरदर्शिता से चिपको आन्दोलन में प्राण फूके, इसलिये गौरा देवी को चिपको आन्दोलन की सूत्रधार व जननी कहा जाता है। इस महान व्यक्तित्व का निधन 4–जुलाई 1991 को हुआ। यद्यपि आज गौरा देवी इस संसार में नहीं है लेकिन उत्त्राखण्ड ही हर महिला में वह अपने विचारों से विद्यमान है, हिमपुत्री की वनों की रक्षा की ललकार ने यह साबित कर दिया कि संगठित होकर महिलायें किसी भी कार्य को

करने में सक्षम हो सकती है। जिसका ज्वलन्तउदाहरण, चिपको आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होना है।

26 मार्च 1974 पश्चात् चिपका आन्दोलन का स्वरूप :– चण्डी प्रसाद भट्ट ने रोजगार को लेकर अपने बुनियादी हक हकूकों के लिये 1964 में गांधीवादी तरीके से संघर्ष शरू किया था। 1970 की बाढ़ के बाद यह संघर्ष अपने हक–हकूकों के साथ–साथ स्थानीय सुरक्षा हेतु चिपको आन्दोलन में परिवर्तित हो गया था। 26 मार्च 1974 पश्चात् चिपको आन्दोलन स्थानीय नहीं रह गया बल्कि एक ऐसी मुहिम में परिवर्तित हो गया जिसमें पूरे कल्याण की भावना निहित थी।

समाजसेवी सुन्दरलाल बहुगुणा का योगदान :– 26 मार्च 1974 के गौरा देवी के साहसिक कदम ने सभी पर्यावरणविदों को आपस में जोड़ने का कार्य भी किया। टिहरी गढ़वाल के समाजसेवी सुन्दरलाल बहुगुणा भी इस मुहिम में जुड़ गये, उन्होंने चिपको आन्दोलन को विस्तार दिया और इस आन्दोलन को जल, जमीन व जंगल को जीवन सुरक्षा से जोड़ दिया और चिपको आन्दोलन का घोषवाक्य बना–

क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार।
मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार।।

सुन्दरलाल बहुगुणा ने चिपको आन्दोलन से गाँव–गाँव जागरूकता लाने के लिये 1981 से 1983 तक लगभग 5000

किमी0 लम्बी ट्राँस–हिमालय पद यात्रा की। चिपको आन्दोलन का ही परिणाम था जो 1980 में 'वन संरक्षण' अधिनियम बना और केन्द्र सरकार को पर्यावरण मन्त्रालय का गठन करना पड़ा। चिपको आन्दोलन को कई सफलताएं मिली परन्तु प्रकृति का सन्तुलन बनाये रखने के लिये वन एवं जीवों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। अतः चिपको आन्दोलन की आवश्यकता हमेशा रहेगी और यह सर्वथा समीचीन है।

सन्दर्भ सूची

1. मोहन सविता – उत्तराखण्ड समग्र अध्ययन।
2. चन्दोला सरला – उत्तराखण्ड का लोक साहित्य और जनजीवन।
3. भट्ट चन्द्र त्रिलोचन– उत्तराखण्ड आन्दोलन।
4. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन का नवीन इतिहास।
5. पाठक शेखर : ''पहाड़'' 1986 (उत्तराखण्ड में सामाजिक आन्दोलन की रूपरेखा) धामा रोहिला बाँज, नैनीताल प्रकाशन।